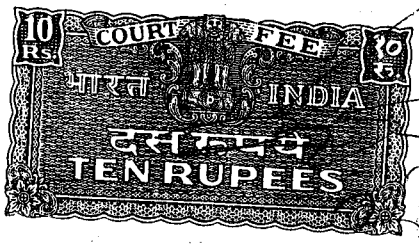

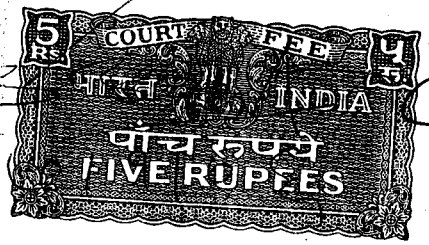

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ अपील

महेश यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव, निवासी ग्राम मेहवा चक-३, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़, म०प्र० -- अपीलान्ट

विरुद्ध

१। वंशी मेहतर पुत्र श्री सुक्के मेहतर

२। बिशुनलाल पुत्र श्री विश्वनाथ यादव

३। महिला पुष्पादेवी पत्नी श्री बिशुनलाल सभी निवासी मेहवा चक-३, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़, म०प्र० ---

रिस्पान्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश अपरआयुक्त महोदय सागर संभाग दिनांक ६-०२-२००६ अन्तर्गत धारा ४४ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक ६६१/बी-१२१/२००३-२००४

श्रीमान,

अपील का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि अपरआयुक्त महोदय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कार्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया । अपील में अपीलान्ट्स द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई थी उन पर न तो समुचित विचार ही किया गया और ना ही उनका निराकरण ही किया गया । यद्यपि उनके समक्ष लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये थे [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 371/II/2006 8141/छ.. जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.अवस्थी उपस्थित। अनावेदक कमांक-1 के वारिस पूर्व से एकपक्षीय। अनावेदक कमांक-2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 691/बी-121/03-04 में पारित आदेश दिनांक 6-2-2006 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि,ग्राम महेवा चक-3 में स्थित भूमि खसरा नंबर 501/1-ग रकवा 1.086 हैक्टर भूमि का बंटन समिति द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ-19(1)/81-82 में पारित आदेश दिनांक 28-4-1982 के द्वारा अनावेदक कमांक-1 के पक्ष में बंटन स्वीकार किया गया। अनावेदक कमांक-1 ने उक्त विवादित भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25-5-1996 के द्वारा अनावेदक कमांक-2 व 3 को विकय की अनावेदक कमांक-2 व 3 द्वारा उक्त भूमि को कय करने के पश्चात अपना नामान्तरण कराया गया उक्त नामान्तरण को निरस्त कराये जाने हेतु आवेदक ने कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण कमांक 30/बी-121/2003-04 पर दर्ज कर आदेश दिनांक	

17–8–2004 के द्वारा निरस्त किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 691/बी–121/03–04 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 6–2–2006 द्वारा सारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अनावेदक कमांक–1 को ग्राम महेबा चक–3 स्थित भूमि खसरा नंबर 501/1–ग रकवा 1.086 हैक्टर भूमि प्रकरण कमांक 26/अ–19(1)/81–82 में पारित आदेश दिनांक 28–4–1982 के द्वारा आंबटित की गई थी। उसके बाद भूमि स्वामी हक मिलने के उपरांत अनावेदक कमांक–1 द्वारा उक्त भूमि अनावेदक कमांक– 2 व 3 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25–5–1996 को विकय की गई जो बंटन दिनांक से 14 वर्ष पश्चात विकय की गई है।

विचारणीय बिन्दु यह है कि, धारा 165 (7)(ख) के अंतर्गत प्रतिबंध का प्रभाव नहीं रहता है। म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा– 158 में दिनांक 2 अक्टूबर 1992 को संशोधन हुआ है और उसमें उपधारा–3 अंतस्थापित की गई है, इस संशोधन के परिणाम स्वरूप पट्टे पर धारण किये हुये सभी व्यक्ति 28 अक्टूबर 1992 को भूमि स्वामी की श्रेणी में हो गये है। उन पर विकय संबंधी प्रतिबंध समाप्त हो गया है। धारा–158 में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि अन्तरण संबंधी पट्टे की भूमि पर 10 वर्ष की अवधि

तक ही सीमित है। इस संशोधन के प्रभाव से अनावेदक कमांक–1 द्वारा अंतरण 14 वर्ष की अवधि के बाद किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधार पर कलेक्टर टीकमगढ एवं अपर आयुक्त,सागर संभाग सागर द्वारा 10 वर्ष उपरांत किये गये, बंटन की भूमि के विकय को वैध माना है वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण है इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2006 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है। उभय पक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर